कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

क्रमांक–1535/ री–1/2021 खण्डवा दिनांक 17-05 2021

प्रति,

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल

विषयः– भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने सबंधी अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबद्। प्रकरण क्रं. 0014/अ–82/2020–21 ग्राम मालीपुरा तहसील खण्डवा।

–0–

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने सबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–1 में होना है कलेक्टर एवंम समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की दो प्रतियॉ आपकी ओर भेजी जा रही है ।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीध्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।

(डॉ.ममता खेड़े)
अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

पृ0क्र0/1535/री–1/2021 खण्डवा दिनांक 17-.5.2021

प्रतिलिपिः–

1. उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने सबंधी अधिसूचना का. दो समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाकर प्रकाशन प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी) खण्डवा की ओर कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना के जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
3. तहसीलदार खण्डवा की ओर छः प्रतियॉ भेज कर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करे–
   1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर 2– उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
   3–तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर 4– ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर 5. ग्राम मालीपुरा की चौपाल पर।

(डॉ.ममता खेड़े)
अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

भी क. /एल. ए./ /2020
भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक-0014/अ–82/2020–21 खण्डवा, दिनांक 05/05/2021

//सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट संबंधी अधिसूचना//

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र कं /इन्दौर /डब्ल्यू/335/02 दिनांक 30.1.2019 प्रस्तुत कर **खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य हेतु ग्राम मालीपुरा पटवारी हल्का नं 95 तह0 खण्डवा** की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.47 हैं0 भूमि का अनिवार्य भू–अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही अवगत कराया कि इस न्यू ब्राडगेज रेल्वे लाईन का निर्माण कार्य लोकहित में किया जा रहा है ।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित्त से सबंधित होने के कारण म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ–16–15(1)/2014–सात–2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै अनय द्विवेदी कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10–ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकिंत क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा–4 मे वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :–

स.क.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. मे.	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	खण्डवा	95	मालीपुरा	0.47 हे.	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल मे कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनय द्विवेदी)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला– खण्डवा